

लोक शिक्षण संघालयालय
मध्यप्रदेश

क्र./श.क./वी/सवि./37/2010/265

भोपाल, दिनांक 12/5/10


:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अन्वय में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला सविलियन के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिष्वत पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला सविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		सविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	सविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती मेधा नामदेव सहायक शि. वर्ग-3 शा.प्रा.वि. ऊमरी जिला राजगढ़	AU4098	233003300 01	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. 2851-52 दि 12.4.10	नगरपालिका परिषद मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र.1288 दि15.4.10 शा.प्रा.वि. बाकड़ी	231906224 49
2	श्रीमती गुंजन श्रीवास्तव अध्यापक (सा.विज्ञान) शा.मा.वि. ठावला जिला सीहोर	AB1257	233305073 04	जिला पंचायत सीहोर जिला-सीहोर जा.क्र 2788दि 06.4.10	नगरपालिका निगम भोपाल जिला- भोपाल जा.क्र.37 दि 13.4.10 शा.मा.शा. बरखेड़ीखुर्द (नगर निगम द्वारा जारी पत्र में वर्णित स्थिति के अनुक्रम में जारी)	233203036 34
3	श्रीमती अलका दौंगी वरि.अ. (भौतिकशास्त्र) शा.उ.मा.वि. केसली जिला सागर	AY3500	231107777 02	जिला पंचायत सागर जिला-सागर जा.क्र.1828दि09.12.09	नगर पंचायत पाटन जिला- जबलपुर जा.क्र. 46 दि 16.4.10 शा.बा.उ.मा.वि. पाटन	233905777 01
4	श्रीमती सीमा सेन अध्यापक शा.उ.मा.वि. रंजानगर जिला छतरपुर	AG2109	230905777 05	जिला पंचायत छतरपुर जिला-छतरपुर जा.क्र.1195दि 21.4.10	नगरपालिका पालिका परिषद टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ जा.क्र. 535 दि18.4.10 शा.पूर्व. मा.वि. पुरानी रेहटी	230806172 15

सविलियन की शर्त :-

- यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में सविलियन के लिये मान्य होगी।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उम्मी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में सविलियन किया जायेगा।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा सविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।



4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
12. शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 1, 2 एवं 3 का पालन संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जावे।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

[Signature]
12.05.10

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12/05/10

पृष्ठा.क्र./शि.क./बी/संवि./37/2010/266
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ पेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

[Signature]
12.5.10

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश